न्यायालय– जिलाधिकारी, सहरसा।

आपूर्ति अपील वाद संख्या– 04/2016–17

विष्णुदेव यादव वनाम राज्य

–:: आदेश ::–

4.2.18
18.2.18

प्रस्तुत अपील अपीलार्थी विष्णुदेव यादव के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर के ज्ञापांक 737–2 दिनांक 18.05.2016 के विरूद्ध दाखिल किया गया है।

वाद का संक्षिप्त विवरण यह है कि दिनांक 04.05.2016 को प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सलखुआ द्वारा ग्राम उटेसरा के जन वितरण प्रणाली विक्रेता श्री विष्णुदेव यादव के यहाँ अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा दूरभाष पर किये गए निदेश के आलोक में निरीक्षण किया गया। जहाँ काफी संख्या में उपस्थित उपभोक्ताओं ने 6 बोरा गेहूँ जो प्रति बोरा 60 किग्रा के वजन में हाथ सिलाई के रूप में था, विष्णुदेव यादव के द्वारा वेचने का आरोप लगाया गया। विष्णुदेव यादव दुकान से अनुपस्थित पाया गया न ही कोई पंजी या साक्ष्य प्रस्तुत किया। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर सलखुआ थाना 85/16 प्राथमिकी दर्ज की गयी तथा कालाबाजारी के आरोप में जन वितरण प्रणाली विक्रेता अनुज्ञप्ति संख्या 100/08 को अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर के ज्ञापांक 737–2 दिनांक 18.05.2016 के द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील दाखिल है।

अपीलार्थी का कहना है कि अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर के ज्ञापांक 737–2 दिनांक 18.05.2016 में पारित आदेश जो बिना तहकीकात व नियमानुसार नहीं पारित किया गया है, जो कानून की दृष्टिकोण से गलत है। अपीलार्थी का आगे कथन है प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सलखुआ द्वारा दर्ज प्राथमिकी में आरोपित किया गया है कि दिनांक 04.05.2016 को अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा दूरभाष पर दिये गए सूचना के आधार पर मैं ग्राम पंचायत उटेसरा जन वितरण प्रणाली विक्रेता विष्णुदेव यादव के यहाँ गया। वहाँ काफी संख्या में उपस्थित उपभोक्ताओं ने 6 बोरा गेहूँ प्रति बोरा 60 किग्रा के वजन में हाथ सिलाई के रूप में था। विष्णुदेव यादव के द्वारा बेचने का आरोप लगाया, जिसका सत्यापन करने में विष्णुदेव यादव के दुकान पर गया परन्तु वे नहीं मिले ओर नही लगातार कई धंटे तक उनके द्वारा कोई पंजी या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। सत्यापन के क्रम में डीलर का गायब पाया जाना, कोई पंजी प्रस्तुत नहीं करना, किसी प्रकार का साक्ष्य नहीं दिखलाना प्रथम दृष्ट्या प्रतीत है कि बेचा गया अनाज विक्रेता का ही था जो ग्रामीणों द्वारा पकड़ा गया है। जिससे स्पष्ट है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बिना तहकीकात और बिना कोइ कारण पृच्छा, ग्रामीण असमाजिक तत्वों के दबाव पर कांड दर्ज कराया गया है।

अग्रतर अपीलार्थी का कहना है कि यदि किसी भी जन वितरण विक्रेता के विरूद्ध कोई शिकायत लाभुक द्वारा किया जाता है तो पहले उसे कारण–पृच्छा देना चाहिए, उसके प्रत्युतर एवं पंजी संधारण से असंतुष्ट होने के बाद ही कोई कार्रवाई विक्रेता के विरूद्ध होना चाहिए। विक्रेता से किसी भी प्रकार न तो कारण पृच्छा लिया गया और न हीं किसी प्रकार की सूचना दी गयी, सीधे तौर पर F.I.R दर्ज कर दी गयी।

अंततः अपीलार्थी द्वारा अनुमंडल पदधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर द्वारा निर्गत ज्ञापांक 737–2 दिनांक 18.05.2015 का (Set व Side) उपास्त करने की याचना की है।

राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक का कहना है कि अपीलार्थी द्वारा कालाबाजारी के उद्धेश्य से 6 बोरा गेहूँ जो प्रति बोरा 60 कि०ग्रा० का था जिसे ग्रामीणों द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर को दूरभाष से सूचना दी गयी, जिसके आलोक में कार्रवाई की गयी। जाँच के समय अपीलार्थी का अनुपस्थित रहना जाँच के समय पंजी नहीं दिखाना स्पष्ट है, जन वितरण प्रणाली दुकानदार कालाबाजारी करते थे की गयी कार्रवाई सही है। अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर द्वारा निर्गत आदेश बिल्कुल सही है।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख तथा संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। जाँच की तिथि को अपीलार्थी का गायब होना, पंजी नहीं दिखाना, अनुज्ञप्ति शर्त्तों का अनुपालन अपीलार्थी द्वारा नहीं किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अतः अपील खारीज (Dismiss) किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।
18.2.18
समाहर्त्ता,
सहरसा।

18.2.18
समाहर्त्ता,
सहरसा।

ज्ञापांक 402-2 विधि, सहरसा, दिनांक– 07-03-2017 .

प्रतिलिपि– अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमरीबख्तियारपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सहरसा जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

7/3/17

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।

7-3-17